न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 56/2020

1 रामदेवा पुत्र नाथू उम्र 68 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी भेरीमाला तन पौंख तहसील उदयपुरवाटी लि झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 माडुराम पुत्र मक्खन उम्र 44 साल
2 रतीराम पुत्र मक्खन उम्र 40 साल
3 रामनिवास पुत्र मक्खन उम्र 26 साल
4 जगुराम पुत्र गीगाराम उम्र 64 साल
5 नारायणराम पुत्र गीगाराम उम्र 62 साल
समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी खारवाली तन पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
6 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पौंख जरिये शाखा प्रबन्धक
7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते



अपील विरूद्ध अन्तिम निर्णय व डिक्री
18.10.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी उनवानी प्रकरण रामेदव
बनाम माडुराम मु.नं. 38/2018

उपस्थिति :

1. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 38/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 1951 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2018 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.05.2018 की पालना में हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा वादपत्र में वर्णित भूमि का विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.07.2018 तैयार किया गया तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी के हस्ताक्षर करवाकर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बिना पक्षकारान को सुने ही दिनांक 18.10.2018 को न्यायालय ने अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी कर दी अन्तिम निर्णय व डिक्री के अनुसार नक्शे में तरमिम किया गया है जो मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त से भिन्न है अर्थात अन्तिम डिक्री के अनुसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

नक्शे में तरमिम गलत की गयी है। इससे व्यथित होकर यह अपील यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है उसके केवल काउन्टर हस्ताक्षर कार्यालयय में ही करवाये गये है विभाजन प्रस्ताव मौके पर हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरक्षक के द्वारा तैयार किया था भू अभिलेख एवं हल्का पटवारी ने पक्षकारों के हस्ताक्षर खाली पेपर पर करवाये थे। परन्तु हल्का पटवारी ने विभाजन प्रस्ताव में रकबा का विभाजन तो रिकार्ड के अनुसार सही कर दिया परन्तु विभाजन प्रस्ताव के साथ जो नक्शा तैयार किया गया उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि की तरमिम कब्जे के अनुसार नहीं करके उत्तर से दक्षिण कर दिया जो वादी एवं प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जे काश्त से एकदम विपरित (भिन्न) है तथा पक्षकारान को बिना दिखाये ही न्यायालय हाजा में पेश कर दिया फिर उसी नक्शे के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2018 पारित कर दिया जो विरूद्ध पत्रावली होने के कारण खारिज होने योग्य है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थीं। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी अपीलांट का था। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर वादी अपीलांट की अंगूठा निशानी अंकित है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। प्रस्तुत अपील 2 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर